27

सं0- 2/3/2000-स्था (वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : मई 15,2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-बाह्य सेवा के दौरान देय पेंशन की लागत में मासिक अंशदान की गणना के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.10.87 के कार्यालय ज्ञापन सं0-2/44/85-स्था. (वेतन-II) की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 1.1.86 से किसी सरकारी कर्मचारी की बाह्य सेवा के कार्यकाल के दौरान देय पेंशन अंशदान, मूल नियमों के नियम 9(21)(क)(I)में परिभाषित किए गए अनुसार बाह्य सेवा में जाने के समय उसके द्वारा धारित पद के अथवा बाह्य सेवा में जिस पद पर उसे प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त हुई है, उस पद के (दिनांक 1.1.1986 से लागू) वेतनमान के अधिकतम वेतनपर आधारित होगा ।

2. दिनांक 1.1.96 से केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में संशोधन तथा पेंशन की गणना दिनांक 1.1.96 से मूल नियम 9(21)(क)(I) में यथा परिभाषित वेतन के संदर्भ में किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप इस बारे में आवश्यक संशोधित आदेश जारी किए जाने का प्रश्न भारत सरकार का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहा है । राष्ट्रपति, अब यह निर्णय करते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में बाह्य सेवा में उसके कार्यकाल के दौरान देय पेंशन अंशदान मूल नियम के नियम 9(21)(क)(I)में परिभाषित किए गए अनुसार बाह्य सेवा में नियुक्ति के समय उसके द्वारा धारित पद अथवा बाह्य सेवा में जाते समय जिस पद पर उसे प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त हुई हो उस पद के संशोधित वेतनमान के अधिकतम वेतनपर निर्धारित होगा ।

3. ये आदेश 1.1.1996 से लागू होंगे । ऐसे व्यक्ति जो 1.1.1996 को पहले से ही बाह्य सेवा में कार्यरत हैं उनके संबंध में पेंशन अंशदान की दरों की गणना उपर्युक्त फार्मूले से उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को उन्होंने अपने मूल संवर्ग में संशोधित वेतनमान के अंतर्गत शामिल होने के बारे में अपना विकल्प दिया था । इससे पूर्व की अवधि के लिए पेंशन अंशदान की गणना उस समय विद्यमान आदेशों अर्थात् 1.1.1996 से पूर्व की अवधि में समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार की जाएगी ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(चन्द्र प्रकाश)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
मानक सूची के अनुसार । आदि ।